न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 105/2016

1. शान्ति लाल ढेल पुत्र श्री मोहन लाल ढेल कौम जाट आयु बालिग, व्यवसाय वकालत, निवासी ग्राम पनेर तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
2. भीमसिंह पुत्र श्री करणसिंह चौधरी कौम जाट आयु बालिग, व्यवसाय वकालत, निवासी ग्राम तिलोनिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
3. रामेश्वरलाल चौधरी पुत्र श्री हुक्माराम जाट कौम जाट आयु बालिग, व्यवसाय वकालत, पोस्ट आकोडिया तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान

– प्रार्थीगण

बनाम

1 बाबूलाल पुत्र श्री गंगाराम कौम गुर्जर आयु बालिग, निवासी गुर्जरो का मौहल्ला (गुजरों का बाड़ा) पुरानी चुंगी, किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान

2 विनायक मिनरल सिलोरा रोड, किशनगढ जरिये अनिल कुमार पुत्र श्री रघुवीर शरण लाहोटी, निवासी किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

3 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़ जिला अजमेर राज०

– अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

आदेश

उपस्थित वकील प्रार्थीः– श्री परमानन्द शर्मा
अप्रार्थीगणः– एकपक्षीय

दिनांक 29.01.2025

प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री परमानन्द शर्मा ने एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत् पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाकै राजस्व ग्राम किशनगढ़ पटवार हल्का किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है जिसके खाता संख्या नया 231 पुराना 220 के खसरा संख्या 2065/2 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा 15 बिस्वांसी किस्म गै.मु. 1–13–00, बंजर प्रथम 5–07–15, चाही तृतीय 2–18–07, बारानी प्रथम 2–00–07, बारानी ए 1–08–13 है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से हिस्सा 1/4 एवं अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/2, अप्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/4 दर्ज है एवं उक्त हिस्से अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 संयुक्त काबिज काश्त है। वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 संयुक्त खातेदार काबिज काश्तकार है प्रार्थना पत्र अधीन कृषि भूमि का मौके पर मय नींव, सींव, अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी कृषि भूमि का हिस्से अनुसार नाप चौक एवं बंटवारा नहीं हो रखा है। वर्णित कृषि भूमि का प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 के मध्य मय नींव, सींव, अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी कृषि भूमि का हिस्सेनुसार नाप चौप एवं बंटवारा नहीं होने से आये दिन प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 के मध्य वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। दिनांक 20.07.2016 को अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा एक जे.सी.बी. मशीन द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि में मोबाईल टॉवर लगवाने हेतु बड़े बड़े गहरे खड्ढे वगैरह खुदवाये जा रहे थे जब प्रार्थीगण कृषि भूमि में काश्त, देखभाल, सार संभाल करने गये तब पता चला कि अप्रार्थी संख्या 1 मोबाईल टॉवर कम्पनी से संव्यवहार करके उपरोक्त अविभाजित कृषि भूमि को बिना विधिक विभाजन करवाये विशेष हिस्से पर मोबाईल टॉवर लगाने हेतु जे.सी.बी. मशीन

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

गहरे गहरे खड्डे खुदवा रहा था जब प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को उपरोक्त मोबाईल टॉवर लगाने से मना किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि मैं विशेष हिस्से पर मोबाईल टॉवर लगा कर रहूंगा और लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गया तथा प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को आपसी सहमति से बंटवारा करने के लिए कहा लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने सहमति से बंटवारा करने को तैयार नहीं था तथा उस समय प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त अविभाजित संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि के विशेष हिस्से के भाग पर मोबाईल टॉवर लगाने से रोक दिया। प्रार्थना पत्र अधीन कृषि भूमि के बाबत आये दिन प्रार्थीगण से अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा विवाद करने के कारण तथा दिनांक 20.07.2016 को अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जबरदस्ती विशेष भाग पर मोबाईल टॉपर लगाने के लिए जे.सी.बी. मशीन से बड़े बड़े खड्डे खोदना चालु कर दिया तब प्रार्थीगण ने विरोध किया तथा प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को आपसी सहमति से बंटवारा करने से इन्कार करने के कारण प्रार्थना पत्र अधीन कृषि भूमि के प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 के मध्य मय नींव, सींव, अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी कृषि भूमि का हिस्सेनुसार नाप चौक कर बंटवारा किये जाने हेतु अलग से वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना पत्र अधीन कृषि भूमि में बिना विधिक बंटवारा करवाये बिना कानूनन विशेष भाग पर मोबाईल टॉवर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र अधीन भूमि कृषि भूमि है तथा अप्रार्थी संख्या 1 बिना भू–रूपान्तरण करवाये बिना ही उपरोक्त प्रार्थना पत्र अधीन कृषि भूमि का व्यवसायिक उपयोग भी कानूनन नहीं कर सकता है। जब तक प्रार्थना पत्र अधीन भूमि का विधिक रूप से बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक प्रार्थना पत्र अधीन भूमि के प्रत्येक इंच पर सभी सहखातेदारो का कब्जा काश्त माना जायेगा। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थना पत्र अधीन अविभाजित कृषि भूमि के विशेष भाग पर मोबाईल टॉवर लगाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से तामूल वाद फैसला तक पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वे प्रार्थना पत्र अधीन कृषि भूमि के किसी भी भाग पर बिना विधिक बंटवारा कराये मोबाईल टॉवर नहीं लगावे, ना ही किसी तरह का कच्चा पक्का निर्माण करे एवं ना ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त, कृषकीय कार्य में बाधा, रूकावट, व्यवधान कारित करे। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 20.07.2016 को जब उत्पन्न हुआ जब प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अधीन कृषि भूमि पर काश्त, सार संभाल, देखभाल करने के लिए गये तो वहाँ पर अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा बिना विभाजन करवाये प्रार्थना पत्र अधीन कृषि भूमि के विशेष भाग पर मोबाईल टॉवर लगाने के लिए जे.सी.बी. मशीन से बडे बडे खड्ढे खुदवा रहा था तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को खड्ढे खोदने से मना किया तो अप्राथर्थी संख्या 1 लड़ाई झगडा करने पर उतारू हो गया तब प्रार्थीगण ने विरोध करके खड्ढे नहीं खोदने दिये तब अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि मैं मौका देख कर प्रार्थना पत्र अधीन भूमि के विशेष भू–भाग पर मोबाईल टॉवर लगा कर रहूंगा एवं प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को आपसी सहमति से बंटवारा करने का निवेदन करने पर अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा इन्कार करने के कारण उत्पन्न हुआ जो दिन प्रतिदिन जारी है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है। अप्रार्थी संख्या 3 लैण्ड होल्डर होने के कारण प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र अधीन कृषि भूमि ग्राम किशनगढ़ तहसील किशनगढ जिला अजमेर में माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से इस प्रार्थना पत्र को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कोर्ट फीस चस्पा है। अतः श्रीमान् न्यायालय से प्रार्थीगण निम्न अनुतोष की प्रार्थना करते है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर अप्रार्थी संख्या 01 को ताफैसला मूल वाद उनके नौकर, प्रतिनिधी, रिश्तेदार सहित को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित ग्राम किशनगढ़ पटवार हल्का किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 2065/2 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा 15 बिस्वांसी अविभाजित वादग्रस्त कृषि आराजी का जब तक विधिक रूप से बंटवारा नहीं होता है तब तक अप्रार्थी संख्या 1 वाद अधीन अविभाजित भूमि के किसी भी विशेष भू–भाग पर खड्डे खोद कर किसी भी कम्पनी का मोबाईल टॉवर नहीं लगाने, किसी तरह का कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे, वादग्रस्त भूमि की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे, वादग्रस्त भूमि को किसी भी प्रकार अकृषि कार्य में उपयोग नहीं करे व वादग्रस्त भूमि की मौके पर यथास्थिति रखे एवं प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी में कब्जे काश्त में, कृषकीय कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा, रूकावट कारित नहीं करे इस आशय

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी 01 फरमाई जावे। अन्य अनुतोष जो परिस्थिति अनुसार बहक प्रार्थीगण हो सादर फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 27.07.2016 को दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी संख्या की तलबी होने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 01 व 02 अनुपस्थित रहे जिसके कारण दिनांक 11.09.2018 को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई तथा दिनांक 17.02.2020 तक भी जवाब पेश नहीं करने के कारण दिनांक 17.02.2020 को अप्रार्थी संख्या 03 का जवाब अवसर बन्द किया गया। दिनांक 13.01.2025 को वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रार्थना पत्र का धारा 212 राज.का.अधि. के तीन बिन्दुओं के अनुसार विवेचन किया गयाः–

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01, 02 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका विधिक विभाजन नहीं हुआ है एवं बिना विधिक विभाजन के अप्रार्थी संख्या 01 वादअधीन भूमि के स्वरूप परिवर्तन करने पर आमादा है, अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है।

सुविधा का संतुलनः– वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01, 02 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका विधिक विभाजन नहीं हुआ है एवं बिना विधिक विभाजन के अप्रार्थी संख्या 01 वादअधीन भूमि के स्वरूप परिवर्तन करने पर आमादा है, खुर्द बुर्द करना चाह रहा है जिससे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

अपूरणीय क्षतिः– यदि अप्रार्थी संख्या 01 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द कर मौके की स्थिती में परिवर्तन कर दिया गया तो अपूरणिय क्षति प्रार्थी को कारित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम किशनगढ पटवार हल्का किशनगढ तहसील किशनगढ में स्थित भूमि खसरा संख्या 2065/2 में अप्रार्थी संख्या 1 वाद अधीन अविभाजित भूमि के किसी भी विशेष भू–भाग पर खड्डे खोद कर किसी भी कम्पनी का मोबाईल टॉवर नहीं लगाये, किसी तरह का कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे, वादग्रस्त भूमि की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे तथा वादअधीन भूमि में मौके की यथास्थिती बनाये रखे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21/1/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

निशा सहारण (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)